

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहत्ता-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला - गुमला

वाद सं०- 21/2019-20

केस का प्रकार - नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर</p> <p>बनाम</p> <p>जसवंत बड़ाईक विषयी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम-पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें जसवंत बड़ाईक, पिता- राजु बड़ाईक, ग्राम- बरवेनगर फुलवारटोली, पोस्ट- चैनपुर, थाना- चैनपुर, जिला- गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि- 59,390.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है।</p> <p>उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक- 7098(ii)/गो० दिनांक- 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 250000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०- 21/2019-20 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p>भूमि सुधार उप समाहत्ता, -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहत्ता, -सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>	